समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 02 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उप-वर्गीकरण करने के अधिकार पर फैसला सुरक्षित

आरक्षण का लाभ जिस जाति को मिल चुका है उसे इससे बाहर निकालना चाहिये: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल पर कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए।

संविधान पीठ ने सुनवाई के पहले दिन कहा कि वह 2004 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वैधता की समीक्षा करेगा, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे उप-वर्गीकृत करने का अधिकार नही है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की दलीलों का सारांश देते हुए कहा, इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वे उस श्रेणी में आगे हैं। उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए। वहां क्यों रहें? जो पिछड़े में अभी भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलने दो। एक बार जब आप

आरक्षण की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए। महाधिवक्ता ने कहा, यही उद्देश्य है। यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो जिस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास किया गया था वह समाप्त हो जाना चाहिए।

संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेगी जिसके चलते पंजाब सरकार को कोटा के अंदर 50 फीसदी कोटा प्रदान करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ अब इस सवाल पर फैसला सुरक्षित कर लिया है कि क्या अन्य पिछड़ावर्ग(ओबीसी) की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या राज्य विधानसभा इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं। इससे पहले, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अपनी बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि कानूनी प्रावधानों और दो जातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के कारणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि' जाति व्यवस्था और भेदभाव के चलते समाज में गहरे विभाजन हुए और कुछ जातियां हाशिए पर चली गई हैं और निराशा की स्थिति में आ गई हैं। जो लोग हाशिए पर चले गए हैं, उनके पास पिछड़ापन आ गया है। आगे बढ़ना उन लोगों का अधिकार है, जिनके पास यह है और हमें पिछड़ेपन पर ध्यान देने की जरूरत है जो सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक आदि हो सकता है।' पंजाब सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि 2006 के कानून में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित था और इसे तरजीही आधार पर लागू किया गया था और यह किसी भी मानक द्वारा बहिष्करण का कार्य नहीं था और इसका उद्देश्य पिछड़ों में से सबसे पिछड़ों को सबसे आगे लाना था।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड ने सुनवाई के दौरान दो कानूनी सवालों की पहचान करते हुए कहा कि' इस पर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहला, यह कि क्या वास्तविक समानता की धारणा राज्य को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है। दूसरा, यह कि क्या संघीय ढांचा, जहां संसद ने पूरे देश के लिए जातियों और जनजातियों को नामित किया है, यह राज्यों पर छोड़ देता है कि वे अपने क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कल्याणकारी लाभ के लिए नामित करें।'

इस मामले में, 27 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने चिन्नैया मामले में 2004 में पारित 5 जजों के फैसले से असहमति जताई थी और इस मामले को सात सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया था।

आरक्षण देने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा- नहीं करें राजनीति

सुप्रीम कोर्ट के सात जज की संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने में चयनात्मक नही हो सकती हैं क्योंकि इससे तुष्टिकरण की खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। संविधान पीठ ने कहा कि सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देते समय, राज्य सरकार दूसरों को बाहर नहीं कर सकती।'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि' यदि बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं, तो क्या उदाहरण के लिए राज्य केवल दो को चुन सकता है? ऐसे में वंचित लोग हमेशा संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत अपने वर्गीकरण को चुनौती देंगे। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड के अलावा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, विक्रम नाथ, बेलाएम. त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्राऔर सतीश चंद्रमिश्रा भी शामिल हैं।

नहीं करें राजनीति, अपनी भूमिका निभाएं

सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें कुछ जातियों को चुनेंगी जबकि अन्य कुछ जातियों को चुनेंगी। यह विचार लोकप्रिय राजनीति के लिए नहीं है, इसमें आप सभी भूमिका निभाएं, हमें मानदंड निर्धारित करके इसे तैयार करना होगा।

पिछड़ापन दूर करना राज्य की भूमिका

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण देना और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना राज्य की भूमिका है और ऐसा करते समय, यदि वह किसी के सामने आने वाली असमानताओं को दूर करना चाहता है तो वह वर्गीकरण हो सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उप-वर्गीकरण से उस जाति के अन्य लोगों को आगे आने में मदद मिलेगी, अन्यथा केवल एक वर्ग को लाभ मिलता रहेगा।

जातियों के भीतर विविधता का उल्लेख इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप ने पीठ के समक्ष जातियों के भीतर विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ के समक्ष,संविधान की योजना, क्या राज्य की कार्रवाई बिल्कुल योजना में फिट बैठती है, जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से अपना पक्ष रखे।

बार-बार आरक्षण का लाभ लेने पर सवाल जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान पिछले 75 सालों में एक परिवार को बार-बार आरक्षण का लाभ मिलने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 'एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जिसका बच्चा श्रीराम स्कूल या संस्कृति जैसे बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है और एक व्यक्ति जो छोटे गांव में रहता है जिसका बच्चा ग्राम पंचायत की स्कूल में शिक्षा लेता है, वह दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-14 का यही मतलब है।

जस्टिस गवई ने सवाल उठाया कि क्या पिछले 75 साल में एक ही परिवार को चार मौकों पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और गांव में रहने वाले व्यक्ति को उस स्थिति में रहने का सिलसिला जारी रहे?

अध्यक्ष की कलम से

तथ्यपरक बनिए

साथियों,

हम उत्साहित है। हमारे प्रयासों के चलते घोर जातिवादी से कहीं आगे मनमानी को नीति मानने की मानसिकता वाले रवि प्रकाश मेहरड़ा जातिवादी धौंसपट्टी के बल पर प्रदेश के डीजीपी बनने से बाहर हो गए हैं। समता आंदोलन ने संवैधानिक शुचिता को भंग करने वाले मेहरड़ा के खिलाफ जो अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किये उनके आधार पर यू पी एस सी ने उनके नाम की अभिशंसा नहीं की। यह शुभ संकेत है।

हम अपने सभी साथियों को बार-बार याद दिलाते हैं कि वे समता को उद्देश्य पाना चाहते हैं तो तथ्यपरक बनें। लोकतंत्र में बाकी सारे हथियार फेल हो सकते हैं लेकिन तथ्यों की धार और मार अवश्य ही प्रमाणित होती है। लेकिन कई बार हमें निराशा होती है कि हमसे सहयोग की अपेक्षा रखने वाले साथी शुरू में अपने अधिकारियों को विरोध की छोटी सी अर्जी भी नहीं देते।

कृपया याद रखें कि समता आंदोलन सातों दिन चौबीस घंटे न केवल अपने सदस्यों अपितु भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समर्पित रूप से सन्नद हैं। लेकिन हमे याद रखना उपयोगी रहेगा कि न केवल नौकरी और प्रमोशन को लेकर अपितु पूरे जीवन तथ्य संजोकर रखना बहुत उपयोगी होता हैं। भावुकता और भावनाओं का मोल है लेकिन हर दिन हर समय सबसे महत्वपूर्ण है तथ्यपरक होना ।

जय समता।

सम्पादकीय

''लोकसभा चुनाव बताएँगे नए भारत का भाग्य''

देश मंथन के अद्भुत दौर से गुजर रहा है। पक्ष और विपक्षी पार्टियां सब मर्यादाऐं तार.तार होते देख रही हैं अथवा स्वयं कर रही हैं। लेकिन हमारा विषय है जात आधारित आरक्षण। ये मंथन इस दिशा में कहीं अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। जात के नाम पर बड़ी पार्टियों में बसपा और लोजपा ही गिनी जाती थी। और ये दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। बल्कि लोजपा तो समाप्तप्राय: हो चुकी है।

दोनों बड़ी जातिवादी पार्टियों से खाली होने वाले स्थान को भरने के लिए जीतनराम माँझी, कुशवाह, कथित भीमसेना के चंद्रशेखर आदि काल के कैनवास पर मात्र जुगनू की तरह हैं। जो यदा - कदा क्षणिक चमकते हैं और तिरोहित हो जाते हैं। लेकिन बावजुद उपरोक्त तथ्यों के जाति आधारित आरक्षण को समाप्त होने की तरफअग्रसर मानना अभी उचित नहीं है।

अब जाति आरक्षण को हवा देने वाली कुछ नयी हवाएं बहती दीख रही हैं। इनमे से एक है क्षेत्रीय आरक्षण। महाराष्ट्र मराठों का प्रदेश माना जाता है। यहाँ मराठा संरक्षण की धारा शिवसेना के संस्थापक बालठाकरे ने शुरू की थी और एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के कारक बने। लेकिन आज हालत ये है कि क्षेत्रीयता को आरक्षण का आधार बनवाने के लिए विशेष प्रयास वहीं किये जा रहे हैं। यह चौकाने वाला और दुखद तथ्य है कि जिस महाराष्ट्र ने जाति आधारित का विरोध करने के लिए देश का सबसे बड़ा पांच लाख लोगों का ''मार्च '' निकाला था उसी महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने के लिए कई दिनों तक आमरण अनशन चला और प्रदेश सरकार को झुकाया।

सरेआम विद्रोहियों द्वारा पार्टियों की लूट के दो उदाहरण महाराष्ट्र में ही देखने को मिले है। एन. सी. पी. और शिवसेना को जिस बेशऊर तरीके से विद्रोहियों ने लुटा और उस लूट को जिस तरह चुनाव आयोग ने सात्विक बना दिया वह चौकाता है। लेकिन इस तरह से बनने वाली अस्थिर कठपुतली सरकारें नीति को खूंटी पर टांगकर मनमानी को सिद्धांत बना देती हैं। तभी तो वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए ''रोक''के आदेशों को धत्ता बताते हुए सम्भवत: चौथी बार मराठा आरक्षण लागू कर देती है ये शुभ संकेत नहीं है।

इसी तरह की मनमानी का समानांतर उदाहरण है जाति आधारित जनगणना के पक्ष में कांग्रेस जैसी गांधीवादी पार्टी की विवेकहीन मांग। एक तरफये सवा साल पुरानी पार्टी ''भारत जोड़ो न्याय यात्रा'' करती हैं और उसी यात्रा में देश को तोड़ने वाली जातिगत जनगणना को लागू करवानें के लिए नारे लगाती है।

इस उहापोह के वातावरण में विचार मंथन भी भ्रमित दिखाई देता है। कम से कम लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक यह प्रक्रिया ऐसी ही चलने वाली हैं। उसके बाद ही विचार मंथन का कोई निष्कर्ष निकल सकेगा। तब तक के लिए जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट क्या परस्पर पर्यायवाची शब्द है? यह प्रश्न रह-रह कर मन में कौंधने लगा है। मौटे तौर पर दोनों ही एससी/एसटी से संबंधित होने के कारण समान लगते हैं। लेकिन आरक्षण और अत्याचार में अन्तर ये हो गया कि जाति आरक्षण में मंडल आयोग के कारण ओबीसी भी जुड़ गया। शायद यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बांध दी गई। इससे एक तरह का जन संतुलन सा बन गया। अर्थात कुल आबादी का आधा भाग जाति आरक्षण का अधिकारी है, तो शेष खुला मंच जहाँ आरक्षित वर्ग के लोग भी आ सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि विकास और शिक्षा के विस्तार ने आरक्षित वर्ग में एक नई चेतना का विकास किया जिसके बल पर वे खुले मंच पर भी अधिकार पूर्वक विचरण करने लगे। इससे एक असंतुलन बनने की संभावना बनी तो सरकारों ने नया पैतरा चल कर सरकारी नौकरियों में 40 से 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी। परिणाम ये हुआ कि दोहरी मार झेलते हुए कथित सामान्य वर्ग हाशिये पर चलता गया और आरक्षित वर्ग का वर्चस्व बढता गया।

देश जब चलता है तो उसके लिये जन संतुलन पहली और केवल पहली शर्त है। आज भी दुनिया के जो देश गृह युद्ध से मटियामेट होकर फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ-वहाँ पर जन संतुलन एक तरफा हो गया था या यूं कहे कि किताबी बातों तक सीमित रह गया था। भारत के संदर्भ में अभी ये हालात नहीं बन पाये हैं। इसके दो कारण है। एक तो लोगों की धर्म और भगवान में अटूट आस्था और दूसरा लोगों द्वारा अदालतों को भगवान का घर मानना। अदालतों के आदेश को अभी भी भारत के लोग परमेश्वर का वचन मानते हैं भले ही न्याय के मंदिर मात्र निर्णय के आगार बनकर रह गये हों।

न्याय के प्रति इस अगाध श्रद्धा के कारण ही लोग दस, बीस, तीस साल ही नहीं वरन तीन-तीन पीढ़ियों तक प्रतिक्षा कर लेते हैं। और न्याय की जगह निर्णय पाकर भी संतुष्ट हो जाते है। इस तथ्य को भारत के कथित राजनेताओं और उनकी पार्टियों ने पिछले सालों में खूब भुनाया है, और राजसुख भोगा है। आज हालात ये है कि लोकतंत्र में लोक भूल-भूलैया में भटक रहा है और नेता उसी इमारत की छत पर बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। देश और देशभक्ति नामक शब्द अजूबे बना दिये गये हैं और स्वार्थ तथा हिंसा का नया अलिखित संविधान जनता पर थोप दिया गया है।

देश जब चलता है तो उसके लिये जन संतुलन पहली और केवल पहली शर्त है। आज भी दुनिया के जिन देशों में गृह युद्ध से मटियामेट होकर फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ-वहाँ पर जन संतुलन एक तरफा हो गया था या यूं कहे कि किताबी बातों तक सीमित रह गया था।

कहा सुना जाता है कि अंग्रेज अफसरों ने देश को आजादी देते समय विचार प्रकट किये थे कि ये देश एक इकाई के रूप में शायद ही अपनी यात्रा पूरी कर पाये। आज के हालात पर नजर दौड़ायें तो लगता है कि अंग्रेजों ने सही ही कहा था। सच में अकेले जातिवाद ने देश को ऐसे अंधकारमय मार्ग पर धकेल दिया है जिसका कोई छोर रोशनी से जुड़ा दिखाई नहीं देता है। आजादी के कड़े संघर्ष से तपे लोग या उनके वंशज जब तक निर्णायक रहे तब तक देश दरिद्र होते हुए भी खुशहाल और गतिशील था। आज एक ऐसी पीढी देश को चलाने का दम भर रही है जिसका तपना तो दूर आजादी के संघर्ष पर विश्वास तक नहीं है। ये आपाधापी और स्वार्थ में डूबे नेता न जाने कौनसा नया भारत चाहते है जबकि पुराने भारत का चित्र तक इनके पास नहीं है।

जात आरक्षण से जब देश की व्यवस्था प्राय: पूरी तरह चरमरा गई तब नये घातक हथियार के रूप में एट्रोसिटी एक्ट को देश पर मात्र दो लोगों ने थोप दिया। आज देश के सारे सुधि लोग जानते है कि मात्र इन दो बीमार मानसिकता के नेताओं के चलते यह काला अधिनियम देश पर थोप दिया गया है। यह लिखने और कहने में कोई संकोच इसलिये नहीं है कि पूरे देश को मध्यकालीन अराजकता के दौर में पहुंचा देने वाले इस एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर संसद के दोनों सदनों में एक घण्टे भी बहस नहीं हुई और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया? क्या लोकतंत्र की किसी भी परिभाषा में इसे सही कहा जा सकता है? चाय की दुकान पर बैठने वाले चार-पांच लोग भी कभी किसी मुद्दे पर एक मत नहीं होते और देश की 742 लोगों की संसद बिना बहस के एकमत से विधेयक पास कर देती है? इसे लोकतंत्र कहना भी चाहे तो भला कैसे?

सच में अकेले जातिवाद ने देश को ऐसे अंधकारमय मार्ग पर धकेल दिया है जिसका कोई छोर रोशनी से जुड़ा दिखाई नहीं देता है।

पुराने एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने मात्र मानवीय गरिमा की अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्या और भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार मात्र इतना सा सुझाव दिया था कि बिना जांच के गिरफ्तारी न हो और अधिकतम सात दिनों में जांच कर ली जावे। न्यूनतम की कोई शर्त न थी। इससे भड़ककर देश में नकली एससी/एसटी ने जो हिंसक ताण्डव किया उससे सरकार के हाथ-पैर ऐसे फूले कि उसने नये विधेयक-को और भी खूंखार और विभाजक बना डाला। वो भी मात्र 22.50 प्रतिशत वोटों की खातिर। तो क्या शेष 77 प्रतिशत संविधान की सीमा से बाहर है? इस तरह से जन संतुलन का कौनसा सिद्धान्त पूरा होता है? पहले प्रशासनिक संतुलन को तोड़ने के लिए जातिवाद का सहारा लिया गया अब देश को तोड़ने के लिए एट्रोसिटी एक्ट का मार्ग अपनाया जा रहा है? ये कहां की सरकार और संसद है भाई जो शांति और सहकार के स्थान पर विखण्डन और बिखराव को अपना आदर्श मानकर चल रही है?

जाति आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट आज के हालातों में किसी भी तरह से सहीं नहीं है। मात्र बीमार मानसिकता के नेताओं पर देश का भविष्य नहीं छोड़ा जा सकता। शायद इसीलिए देश के कोने-कोन में आग लगी हुई है। भले केन्द्र सरकार हिंसा फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो परंतु पूरे देश की जनता किसी एक पार्टी की जागीर कभी नहीं हो सकता। जहां हो सकता है वहाँ थ्येन मान मन चौक जैसा खून-खराबा होता है।

केन्द्र सरकार और संसद यदि ऐसा कोई मनसूबा रखती है तो वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। भले ही अब गांधी, जयप्रकाश का प्रभाव नहीं है। पर भारत फिर से किसी गांधी या जयप्रकाश को खड़ा करने में हिचकिचाता भी नहीं है। सावधान संसद, जनता जाग रही है।

-समता डेस्क

पौराणिक कथन: 'सुरभि'

कामधेनु नामक गऊ। समुद्र मंथन से निकले नवरत्नों में से एक। जिसे दक्षसुता माना गया है।

अपने किये पराये सारे,
राजनीति गन्दे गलियारे।
जात-पाँत का जहर बिखेरा,
नेताओं के वारे न्यारे।।

कविता

कब रूकेगा सिलसिला

किसी को समझने के लिये
यूं तो उम्र सारी चाहिये।
बारूद होने से कुछ नहीं होता
एक चिन्गारी चाहिये।।
आखिर कब तक अन्धे यूं
बांटते रहेंगें खुद को रेवडी,
बहुत हो चुका अब तो
उतरनी इनकी खुमारी चाहिये।।
एक बार इनको बैसाखी की
गुलामी से आज़ाद करो,
क़ाबिल को फिर कहां
आरक्षण की तरफ़दारी चाहिये।।
मन्त्री और सांसद की सन्तान
गरीबी की रेखा से नीचे,
पढने को निजी स्कूल और
नौकरी सरकारी चाहिये।।
समाज कल्याण के छात्रावास में
अटैच लेटबाथ कमरा,
आने जाने के लिये
चार पहिये की सवारी चाहिये।।
नाश्ते में ब्रेड आमलेट बटर
परांठा दही मुरब्बा चटनी,
लंच डिनर में मटन बिरयानी
चिकन तरकारी चाहिये।।
सोलह आने का एक एक
टका खोटा चव्वन्नी पौ बारह,
चमडे के सिक्कों की अब
अलग दुकानदारी चाहिये।।
इस आरक्षण ने मेरे देश का
बिगाड के रख दिया हाल,
अब फिर से जो बदले व्यवस्था
नेता चमत्कारी चाहिये।।
आखिर ये सिलसिला कब रूकेगा
कुछ तो कहो ज़मीर,
हमारे बचपन की जान ले ली
अब क्या हमारी चाहिये।।

:: हुकम सिंह ज़मीर ::

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

न्यायालय स्वयं वही सबकुछ दोहराता रहा हैं, जिसे वह अनिष्टकारी बताता था। सचमुच जैसा हमारे प्रगतिशीलों की प्रवृत्ति रही है, हर न्यायाधीश पहले सुनाए गए निर्णय में ही नमक-मिर्च लगाकर प्रस्तुत करने के लिए विवश रहा है और इस प्रकार वह अधिकारों को कदम-दर-कदम अनिष्टकारी मोड़ पर ले जा रहा है।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

''पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था से केवल उपेक्षित कर्मचारियो की ही निष्ठा या कुशलता मे कमी नही आती, बल्कि इस पकार पदोन्नति करने वाले कर्मचारी या अधिकारी भी संतोषजनक सेवा नही दे सकते। चूँकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहेगे कि किसी भी स्थिति मे उन्हे पदोन्नति तो मिलनी ही है, अत: उनकी लगन से कार्य करने की प्रवृति नही रह जाएगी।

माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं, ''यदि कोई विधान(अथवा नियम) इस हद तक पहुँच जाता है तो वह लोकतांत्रिक बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है-'' अत: वास्तविक समानता लाने के लिए समाज में व्याप्त वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग को छूट प्रदान करना अथवा अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।''

परिणामी समानता के बिना अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है; क्योकि अवसर की समानता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को अपेक्षाकृत कम उन्नत लोगों के नीचे दबाने में मदद मिले

अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता?

कोटा के अंदर कोटा के पक्ष में केंद्र सरकार

एससी-एसटी एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं। लेकिन, वे सभी उद्देश्यों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जज की संविधान पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे (एससी-एसटी) एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं। लेकिन, वे सभी उद्देश्यों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए, इस अर्थ में एकरूपता है कि उनमें से प्रत्येक अनुसूचित जाति का है। लेकिन आपका तर्क यह है कि समाज शास्त्रीय प्रोफाइल, आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति, शिक्षा उन्नति के संदर्भ में भी कोई एकरूपता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दर्जे के हिसाब से बराबर नहीं हो सकतीं। न्यायालय इसका परीक्षण कर रहा है कि क्या राज्य कोटा के अंदर कोटा दे देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं ? इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरक्षण की नीति को स्थिर नहीं करना चाहिए, इसमें समय और आवश्यक्ता के हिसाब से परिवर्तन लाना चाहिए

न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जज की संविधान पीठ ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे (एससी-एसटी) एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं। लेकिन, वे सभी उद्देश्यों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए, इस अर्थ में एकरूपता है कि उनमें से प्रत्येक अनुसूचित जाति का है। लेकिन आपका तर्क यह है कि समाज शास्त्रीय प्रोफाइल, आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति, शिक्षा उन्नति के संदर्भ में भी कोई एकरूपता नहीं है।

पीठ ने कहा कि 'पिछले व्यवसाय के संदर्भ में विविधता है, अनुसूचित जाति के अंदर विभिन्न जातियों के लिए सामाजिक स्थिति और अन्य संकेतक के तक भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की डिग्री एक व्यक्ति या जाति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है।'

संविधान पीठ ने यह टिप्पणी 'इस कानूनी सवाल की समीक्षा को लेकर की जा रही सुनवाई के दूसरे दिन की है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है या नहीं।

संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने कोटा के अंदर कोटा का किया समर्थन

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ के 2004 के फैसले के निष्कर्षों का विरोध किया और कहा कि यह राज्य को आरक्षण के क्षेत्र को उचित रूप से उप-वर्गीकृत करके उचित नीति तैयार करने से रोकता है और अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी को कम करता है। उनहोंने कोटा के भीतर कोटा का समर्थन करते हुए पीठ से यह भी कहा कि केंद्र सरकार सैकड़ों वर्षों से भेदभाव झेल रहे लोगों को समानता दिलाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपाय के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषित नीति के लिए प्रतिबद्ध है ।

हम उनकी बात कर रहे जो सदियों से वंचित है कपिल सिब्बल

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी समाज के वंचित वर्गों के बीच वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिए जाने की मांग की। उनहोंने पीठ से कहा कि 21वीं सदी में हम उन लोगों के लिए समानता की बात कर रहे हैं जो सदियों से अपमानित और वंचित रहे हैं। सिब्बल ने भी चिन्नैया मामले में 2004 में पारित फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इसमें अनुसूचित जाति को गलत तरीके से एक समरूप समूह माना गया है। उन्होंने कहा कि यह धारणा कि एससी एक समरूप समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह तथ्यात्मक आंकड़े और विश्लेषण पर आधारित नहीं थी ।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने की संविधान की सराहना

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ से कहा कि पंजाब में लगभग 32 फीसदी अनुसूचित जाति की आबादी है और राज्य को समाज के सबसे कमजोर वर्ग के समर्थन के लिए विशेष व्यवसथा करने से नहीं रोका जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 'संपत्ति रखने और चुनाव लड़ने जैसे कई अधिकारों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं करने के लिए संविधान निर्माताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'हमारा संविधान दुनिया का पहला संविधान था, जिसने संपत्ति, शिक्षा, लिंग के संबंध में शिक्षा को पूर्व शर्त नहीं बनाया। यह आस्था का अनुच्छेद था और एक बहुत ही दूरदर्शी प्रावधान था । उनहोंने कहा कि हमारा दुनिया पहला संविधान था जिसमें लैंगिक या संपत्ति के आधार पर चुनाव कराने या चुनाव लड़ने के अधिकार को सशर्त नहीं बनाया ।

यह है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई है। इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है। हाईकोर्ट ने 2010 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) को रद्द कर दिया था, जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण में 50 फीसदी सीटों पर 'वाल्मीकि' और 'मजहबी सिख' जातियों को पहली प्राथमिकता प्रदान करती थी ।

50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करेंगे : राहुल गांधी

राहुल गांधी का बड़ा वादा- इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने रांची में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देशभर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जाएगी।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के कारण भाजपा ने झामुमो-कांग्रेस-राजद की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गठबंधन के सभी विधायकों और सीएम चंपई सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा-आरएसएस की साजिश को रोका और गरीबों की सरकार की रक्षा की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देशभर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जाएगी। रांची के शहीद मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित मणिपुर-टू-महाराष्ट्र भारत रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब जाति जनगणना की मांग उठी और ओबीसीए दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह ओबीसी हैं।

गांधी ने दावा किया कि देश में दलितोंए आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी को बंधुआ मजदूर बना दिया गया। बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों में इनकी भागीदारी का अभाव है। आज यह भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारा पहला कदम देश में जाति जनगणना कराना होगा। गांधी ने वादा किया कि सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन की सरकार आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म कर देगी। बता दें, मौजूदा प्रावधानों के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। देश में सामाजिक और आर्थिक अन्याय सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि वह ओबीसी हैं लेकिन जब जाति जनगणना की मांग हुई तो उन्होंने कहा कि यहां केवल दो जातियां हैं, अमीर और गरीब। गांधी ने दावा किया, जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, और जब वोट पाने का समय आया, तो ओबीसी हैं।

अमर्यादित, अनुशासनहीन, अविधिक और आपारधिक कृत्य करने वाले शिक्षकों को दण्डित किया जाए: समता आन्दोलन

मासूम छात्रों के दिल और दिमाग पर उम्र भर के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान को पत्र लिखकर शिक्षिका श्रीमती हेमलता वर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लकड़ाई जिला बारां को जांच के बाद दण्डित किये जाने एवं सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने पत्र में लिखा है कि डयूटी समय के दौरान शिक्षिका द्वारा जो अमर्यादित, अनुशासनहीन, अविधिक और आपारधिक कृत्य किये गये है, उनसे विद्यालय में पढने वाले मासूम बच्चों के दिल और दिमाग पर उम्र भर के लिए नकारात्मक प्रभाव प्रडा है। इस शिक्षिका द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये जिस प्रकार हिन्दू देवी-देवताओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया, उससे स्वर्गीय डा. भीमराव अम्बेडकर और आरदणीया ज्योतिबा फूले की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा है। साथी शिक्षकों द्वारा और प्रतिष्ठित ग्रामीणों द्वारा बार-बार समझाइश के बावजूद उक्त शिक्षिका द्वारा जातिगत दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर सरे आम जातिगत वैमनस्य फैलाने का अपराध किया गया है। जो कि भारतीय न्याय संहित (बीएनएस/पूर्व आईपीसी) के अधीन विभिन्न धाराओं में दण्डनीय अपराध है।

शिक्षिका द्वारा सरे आम समझाइश करने वाले अपने साथी शिक्षकों को एट्रोसिटी एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर एक और गंभीर अपराध किया गया है। शिक्षिका के अविधिक एवं आपराधिक कृत्यों में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सक्रिय सहयोग किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण दिये जाने से सकल प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों एवं खण्ड पीठों द्वारा विभिन्न निर्णयों में उपरोक्त प्रावधान की पालना सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निर्देश दिये गये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों की अधीन उपरोक्त शिक्षिका की करतूते उसे प्रकटत: आरक्षण प्रावधानों का लाभ लेने के अपात्र प्रमाणित करती है।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उसके द्वारा सेवाकाल के दौरान किये गये सभी अविधिक, अनुशासनहीन कृत्यों की जांच एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच समिति द्वारा जांच करवाई जावे एवं आरक्षण लाभ लेने के प्रमाणिक रूप से अपात्र होने के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त किया जावे और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस/पूर्व आईपीसी) की संबंधित धाराओं के अधीन शिक्षिका और सहयोगी अपराधियों के विरूद्ध सामुहिक रूप से आपराधिक कृत्यों के लिए सरकारी स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जावे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in